संख्या-442/2026/1891/22-2-2025-17(746)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह, निवासी जनपद-सम्भल की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह, जो सकरपुर सोल, थाना-असमोली, जनपद-सम्भल का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 09.12.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कविता आयु लगभग 14 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-419/2010, भा०द०वि० की धारा-302/34, 376डी व 3 (2)5 एस.सी/एसटी एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 05.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2019 द्वारा धारा-302/34 में आजीवन कारावास तथा धारा-376 डी व 3(2) 5एस.सी/एस.टी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्मल द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 09.12.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कविता आयु लगभग 14 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला घोटकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुन्दर सिंह (बन्दी संख्या-49307) पुत्र श्री करन सिंह, निवासी जनपद-सम्भल को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-442/2026/1891(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-442/2026/1891/22-2-2025-17(746)/2025</u>

दिनांक: 28 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह, जो सकरपुर सोल, थाना-असमोली, जनपद-सम्भल का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 09.12.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कविता आयु लगभग 14 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-419/2010, भा०द०वि० की धारा-302/34, 376डी व 3 (2)5 एस.सी/एसटी एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 05.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.08.2019 द्वारा धारा-302/34 में आजीवन कारावास तथा धारा-376 डी व 3(2) 5एस.सी/एस.टी एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सम्मल द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 09.12.2009 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कविता आयु लगभग 14 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त दुपट्टे से गला घोटकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की की गयी है।।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।